Note- Attempt all five questions. Each question carries 4 marks.

1. Write short notes on the following :

a) Res-Ipsa Loquitor रेस इप्सा लौकिटर

b) Ubi jus ibi remediumजहांकानूनहै, वहांउपायभीहै।

c) Volenti-non-fit-injuriaजोलोगऐसाचाहतेहैंउन्हेंकोईहानिनहींहोगी।जुरीया

d) Act of Godदैवीयघटनात्य

e) Inevitable Accidentअपरिहार्यदुर्घटनाट्ना

---

1. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए (प्रत्येक 4 अंक - हिंदी)

---

a) Res Ipsa Loquitur (रेस इप्सा लोकीटर)

"वस्तु स्वयं बोलती है"

यह अपकृत्य (Law of Torts) का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका अर्थ है कि **दुर्घटना के तथ्य ही लापरवाही को सिद्ध कर देते हैं।**
जब कोई क्षति सामान्य रूप से बिना लापरवाही के नहीं हो सकती और क्षति करने वाली वस्तु प्रतिवादी के नियंत्रण में हो, तब यह सिद्धांत लागू होता है।
ऐसे मामलों में **लापरवाही सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर आ जाता है।**

उदाहरण: ऑपरेशन के बाद मरीज के शरीर में औज़ार छूट जाना।

---

b) Ubi Jus Ibi Remedium (उबी जुस इबी रेमेडियम)

"जहाँ अधिकार है, वहाँ उपाय भी है"

इस सिद्धांत का अर्थ है कि **प्रत्येक विधिक अधिकार के उल्लंघन पर कानून द्वारा कोई न कोई उपचार उपलब्ध होता है।**
यदि किसी व्यक्ति के वैध अधिकार का हनन होता है, तो उसे क्षतिपूर्ति, हर्जाना या अन्य कानूनी उपाय मिल

सकता है।
यह अपकृत्य विधि का मूल आधार है।

अपवाद: जहाँ कोई विधिक अधिकार ही नहीं है, वहाँ कोई उपाय भी नहीं।

---

c) Volenti Non Fit Injuria (वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया)

"जो स्वेच्छा से जोखिम उठाता है, उसे हानि नहीं मानी जाती"

इस सिद्धांत के अनुसार, **यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी जोखिम को स्वीकार करता है**, तो उस जोखिम से हुई हानि के लिए वह दावा नहीं कर सकता।
सहमति स्वतंत्र और खतरे की पूर्ण जानकारी के साथ होनी चाहिए।

उदाहरण: खेल प्रतियोगिता में घायल हुआ खिलाड़ी आयोजक पर दावा नहीं कर सकता।

---

d) Act of God (दैवीय घटना)

"प्राकृतिक शक्तियों से उत्पन्न घटना"

दैवीय घटना वह क्षति है जो **असाधारण, अप्रत्याशित और अनियंत्रित प्राकृतिक शक्तियों** से होती है, जैसे– भूकंप, बाढ़, तूफान आदि।
यदि क्षति पूर्णतः प्राकृतिक कारणों से हुई हो और मानव की कोई लापरवाही न हो, तो प्रतिवादी उत्तरदायी नहीं होता।

---

e) Inevitable Accident (अपरिहार्य दुर्घटना)

"ऐसी दुर्घटना जिसे रोका नहीं जा सकता"

अपरिहार्य दुर्घटना वह होती है जो **सभी उचित सावधानियाँ बरतने के बावजूद घटित हो जाती है**।
यह अपकृत्य विधि में एक वैध प्रतिरक्षा (defence) है।

Act of God से अंतर:

- दैवीय घटना केवल प्राकृतिक कारणों से होती है।

- अपरिहार्य दुर्घटना में मानव क्रिया शामिल हो सकती है, पर लापरवाही नहीं।

✅ ये सभी सिद्धांत **अपकृत्य विधि (Law of Torts)** के महत्वपूर्ण नियम एवं प्रतिरक्षाएँ हैं।

Section-B

Note- Attempt any two questions. Each question carries 10 marks.

Q.2 "A tort is a species of civil injury or wrong**".** Examine this definition and add other features to make it comprehensive.

अपक्रित्य दिवानी दोष का भाग है इसके बारे मे परिभाषा दिजिये और इसके महत्व को बताइये

प्रस्तावना

अपकृत्य (Tort) शब्द लैटिन भाषा के शब्द ***"Tortum"*** से लिया गया है**,** जिसका अर्थ है — *टेढ़ा या गलत कार्य*। विधिक दृष्टि से अपकृत्य वह **दिवानी दोष (Civil Wrong)** है जिसके लिए कानून द्वारा **क्षतिपूर्ति (Damages)** का उपाय प्रदान किया जाता है।

यह कथन कि **"अपकृत्य दिवानी दोष का एक प्रकार है"** आंशिक रूप से सही है**,** क्योंकि हर अपकृत्य दिवानी दोष है**,** परन्तु **हर दिवानी दोष अपकृत्य नहीं होता**।

परिभाषा की समीक्षा

अपकृत्य को दिवानी क्षति इसलिए कहा जाता है क्योंकि—

- इसमें किसी व्यक्ति के **कानूनी अधिकार का उल्लंघन** होता है**,** तथा
- इसका उपचार **क्षतिपूर्ति** द्वारा किया जाता है**,** न कि दण्ड द्वारा।

किन्तु यह परिभाषा अधूरी है क्योंकि इसमें अपकृत्य के सभी आवश्यक तत्व सम्मिलित नहीं हैं।

अपकृत्य की व्यापक (पूर्ण) परिभाषा

अपकृत्य की एक पूर्ण परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है—

"अपकृत्य वह दिवानी दोष है, जो अनुबंध या न्यास के उल्लंघन के अतिरिक्त हो, जिसमें किसी व्यक्ति के विधिक अधिकार का हनन किया गया हो तथा जिसके लिए विधि द्वारा क्षतिपूर्ति का उपाय उपलब्ध हो।"

अपकृत्य के आवश्यक तत्व

परिभाषा को पूर्ण बनाने हेतु निम्नलिखित तत्व आवश्यक हैं—

1. दिवानी दोष (Civil Wrong)

अपकृत्य एक दिवानी दोष है, आपराधिक अपराध नहीं।

इसका उद्देश्य **क्षतिपूर्ति** है, न कि दण्ड।

2. विधिक अधिकार का उल्लंघन

अपकृत्य तभी बनता है जब किसी व्यक्ति के **कानूनी अधिकार** का उल्लंघन हो, केवल नैतिक या सामाजिक दोष पर्याप्त नहीं।

3. क्षतिपूर्ति का उपाय

अपकृत्य में उपचार के रूप में **अपरिमित क्षतिपूर्ति (Unliquidated Damages)** दी जाती है, जिसे न्यायालय निर्धारित करता है।

4. अनुबंध से स्वतंत्र

अपकृत्य किसी अनुबंध पर आधारित नहीं होता, बल्कि स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होता है।

5. कानून द्वारा निर्धारित कर्तव्य

अपकृत्य में कर्तव्य **कानून द्वारा निर्धारित** होता है, न कि पक्षकारों की सहमति से।

6. दीवानी न्यायालय में प्रवर्तनीय

अपकृत्य का उपचार **दीवानी न्यायालय** में प्राप्त किया जा सकता है।

अपकृत्य विधि का महत्व

- व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा
- पीड़ित को न्याय व क्षतिपूर्ति
- गलत कार्यों पर नियंत्रण
- सामाजिक न्याय की स्थापना

निष्कर्ष

अतः यह कहना सही है कि **अपकृत्य दिवानी दोष का एक प्रकार है,** लेकिन यह कथन अधूरा है। इसे पूर्ण करने के लिए **विधिक अधिकार का उल्लंघन, स्वतंत्र कर्तव्य तथा क्षतिपूर्ति का उपाय** जैसे तत्वों को सम्मिलित करना आवश्यक है।
अपकृत्य विधि समाज में न्याय और संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

Q.3 Define & differentiate between "Assault" & "Battery"? हमला तथा प्रहार मे अंतर बताइये

प्रस्तावना

अपकृत्य विधि (Law of Torts) में Assault (हमला) और Battery (प्रहार) दो महत्वपूर्ण दीवानी दोष हैं। दोनों का संबंध व्यक्ति की शारीरिक सुरक्षा से है, किंतु इनके स्वरूप और तत्व भिन्न हैं।

Assault (हमला)

परिभाषा

Assault वह कार्य है जिससे किसी व्यक्ति के मन में यह युक्तिसंगत भय उत्पन्न हो जाए कि उसके विरुद्ध तत्काल अवैध बल का प्रयोग किया जाने वाला है।

👉 इसमें शारीरिक संपर्क आवश्यक नहीं होता, केवल भय उत्पन्न होना पर्याप्त है।

हमले के आवश्यक तत्व

1. हानि पहुँचाने की मंशा (Intention) होनी चाहिए।
2. कोई कार्य (Act) होना चाहिए, केवल शब्द पर्याप्त नहीं होते।
3. पीड़ित के मन में तत्काल हानि का भय उत्पन्न होना चाहिए।

उदाहरण

किसी व्यक्ति की ओर मुक्का उठाना या भरी हुई बंदूक तानना – हमला माना जाएगा।

न्यायिक निर्णय

Stephens v. Myers (1830)
धमकीपूर्ण ढंग से आगे बढ़ने को हमला माना गया क्योंकि इससे तत्काल हिंसा का भय उत्पन्न हुआ।

Battery (प्रहार)

परिभाषा

Battery वह अपकृत्य है जिसमें किसी व्यक्ति पर उसकी सहमति के बिना जानबूझकर अवैध शारीरिक बल का प्रयोग किया जाता है।

👉 इसमें वास्तविक शारीरिक संपर्क अनिवार्य है।

प्रहार के आवश्यक तत्व

1. शारीरिक बल का प्रयोग होना चाहिए।
2. बल का प्रयोग जानबूझकर किया गया हो।
3. कार्य बिना वैध कारण या सहमति के हो।

उदाहरण

किसी को थप्पड़ मारना, धक्का देना या पत्थर फेंकना – प्रहार है।

न्यायिक निर्णय

Cole v. Turner (1704)
क्रोध में किया गया हल्का सा स्पर्श भी प्रहार माना गया।

Assault एवं Battery में अंतर

आधार	Assault (हमला)	Battery (प्रहार)
स्वरूप	धमकी या प्रयास	वास्तविक शारीरिक बल
शारीरिक संपर्क	आवश्यक नहीं	आवश्यक
क्षति	मानसिक भय	शारीरिक हानि
अवस्था	प्रारंभिक चरण	पूर्ण कृत्य
उदाहरण	मुक्का उठाना	मुक्का मारना
सहमति का प्रभाव	सहमति से हमला नहीं	सहमति से प्रहार नहीं
परिणाम	भय उत्पन्न होना	शारीरिक चोट

Assault और Battery का संबंध

- Assault बिना Battery हो सकता है।
- Battery प्रायः Assault को शामिल करता है, जब तक कि अचानक संपर्क न हो।

निष्कर्ष

Assault और Battery दोनों व्यक्ति की स्वतंत्रता और शारीरिक सुरक्षा की रक्षा करते हैं।

- Assault मानसिक शांति की रक्षा करता है।
- Battery शारीरिक अखंडता की रक्षा करता है।

अतः Assault = धमकी, जबकि Battery = धमकी का क्रियान्वयन।

Q.4 What is Negligence? Bring out its ingredients with reference to Donoghue vs. Stivenson?

उपेक्षा से क्या है?डोनोग्यूबनामस्टीवेन्सनकेसंदर्भमेंइसकेतत्वोंपरप्रकाशडालिए।

प्रस्तावना

उपेक्षा (Negligence) अपकृत्य (Tort) कानून का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका आधार यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह अपने कार्य करते समय उचित सावधानी बरते, जिससे दूसरों को हानि न पहुँचे। जब कोई व्यक्ति अपेक्षित सावधानी नहीं बरतता और उससे किसी अन्य को क्षति पहुँचती है, तो उसे उपेक्षा कहा जाता है।

उपेक्षा की परिभाषा

उपेक्षा का अर्थ है—
कानूनी कर्तव्य का उल्लंघन, जिससे किसी अन्य व्यक्ति को हानि पहुँचे।

विनफील्ड के अनुसार:

"उपेक्षा वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने कानूनी कर्तव्य के अनुसार सावधानी नहीं बरतता और परिणामस्वरूप वादी को क्षति होती है।"

प्रमुख वाद: डोनोग्यू बनाम स्टीवेन्सन (1932)

यह मामला उपेक्षा के आधुनिक सिद्धांत का आधार माना जाता है और इसमें **पड़ोसी सिद्धांत (Neighbour Principle)** प्रतिपादित किया गया।

वाद के तथ्य

मिसेज़ डोनोग्यू ने अपने मित्र द्वारा खरीदी गई जिंजर बीयर पी। बोतल अपारदर्शी थी। आधी बीयर पीने के बाद बोतल में एक **सड़ा हुआ घोंघा (snail)** पाया गया, जिससे वह बीमार हो गई। उसने निर्माता स्टीवेन्सन के विरुद्ध दावा किया, जबकि दोनों के बीच कोई प्रत्यक्ष अनुबंध नहीं था।

न्यायालय का निर्णय

हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने निर्माता को उपेक्षा का दोषी ठहराया और कहा कि निर्माता का उपभोक्ता के प्रति **सावधानी का कर्तव्य (Duty of Care)** होता है।

पड़ोसी सिद्धांत

लॉर्ड एटकिन ने कहा:

“आपको ऐसे कार्य या चूक से बचना चाहिए, जिनसे आपके पड़ोसी को हानि पहुँचने की उचित संभावना हो।”

पड़ोसी वह व्यक्ति है जो आपके कार्य से प्रत्यक्ष और निकट रूप से प्रभावित होता है।

उपेक्षा के आवश्यक तत्व

उपेक्षा सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित तीन तत्वों का होना आवश्यक है:

1. सावधानी का कर्तव्य (Duty of Care)

प्रतिवादी पर वादी के प्रति सावधानी बरतने का कानूनी कर्तव्य होना चाहिए।

डोनोग्यू मामले में, निर्माता पर उपभोक्ता के प्रति सावधानी का कर्तव्य था।

---

2. कर्तव्य का उल्लंघन (Breach of Duty)

जब प्रतिवादी उस सावधानी का पालन नहीं करता जो एक सामान्य समझदार व्यक्ति करता, तो कर्तव्य का उल्लंघन माना जाता है।

इस मामले में, बोतल में घोंघा होना सावधानी के अभाव को दर्शाता है।

---

3. क्षति या हानि (Damage)

वादी को प्रतिवादी के कर्तव्य उल्लंघन के कारण वास्तविक क्षति पहुँची होनी चाहिए।

मिसेज़ डोनोग्यू को शारीरिक बीमारी हुई, जो स्पष्ट क्षति है।

निष्कर्ष

उपेक्षा वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति उचित सावधानी नहीं बरतता और उससे किसी अन्य को हानि पहुँचती है।
डोनोग्यू बनाम स्टीवेन्सन का निर्णय उपेक्षा कानून में मील का पत्थर है, क्योंकि इसमें:

- सावधानी के कर्तव्य की अवधारणा,
- पड़ोसी सिद्धांत,
- तथा उपेक्षा के तीनों तत्व स्पष्ट किए गए।

अतः उपेक्षा के लिए **सावधानी का कर्तव्य, उसका उल्लंघन और उससे उत्पन्न क्षति** का होना अनिवार्य है।

Section-C

Note- Attempt any three questions. All questions carry 20 marks.

Q.5 He who does an act through another, does it himself. Discuss with the help of decided cases.

वह जो किसि और से अपना काम करवाता है वह खुद उस काम को किया हुअ माना जाता है

निर्णित वादो से बताइये

प्रस्तावना

"वह जो किसी अन्य के माध्यम से कोई कार्य करता है, वह स्वयं उस कार्य को करता है" यह उक्ति अपकृत्य (**Law of Torts**) का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह सिद्धांत **प्रतिनिधिक दायित्व (Vicarious Liability)** का आधार है। इसका आशय यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपना कार्य किसी अन्य से कराता है और उस कार्य से कोई हानि होती है, तो उस हानि के लिए वही व्यक्ति उत्तरदायी माना जाएगा जिसने वह कार्य करवाया है।

सूत्र का अर्थ

इस सूत्र का अर्थ है–

- कोई व्यक्ति यह कहकर उत्तरदायित्व से नहीं बच सकता कि गलत कार्य उसने स्वयं नहीं किया।
- यदि कार्य उसके आदेश, नियंत्रण या अधिकार के अंतर्गत किया गया है, तो वह उसी का कार्य माना जाएगा।

कानूनी भाषा में इसे **प्रतिनिधिक दायित्व** कहा जाता है।

प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत

प्रतिनिधिक दायित्व तब लागू होता है जब–

1. दो व्यक्तियों के बीच विशेष संबंध हो, जैसे–
    - मालिक और सेवक
    - प्रधान और अभिकर्ता
2. सेवक या अभिकर्ता द्वारा किया गया कार्य–
    - दोषपूर्ण (**tortious)** हो, तथा
    - सेवा/नियोजन के दौरान किया गया हो।

प्रतिनिधिक दायित्व की आवश्यक शर्तें

1. संबंध का अस्तित्व

मालिक-सेवक या प्रधान-अभिकर्ता का संबंध होना चाहिए।

2. अपकृत्यपूर्ण कार्य

सेवक या अभिकर्ता द्वारा कोई अपकृत्य (**tort)** किया गया हो।

3. सेवा के दौरान किया गया कार्य

कार्य सेवा या अधिकार की सीमा के भीतर किया गया हो।

महत्वपूर्ण निर्णीत वाद

1. राजस्थान राज्य बनाम विद्यावती (1962)

तथ्य:

सरकारी ड्राइवर ने सरकारी कार्य के दौरान लापरवाही से वाहन चलाया, जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई।

निर्णय:

राज्य को उत्तरदायी ठहराया गया।

सिद्धांत:

सेवक की लापरवाही के लिए मालिक (राज्य) जिम्मेदार है।

---

2. लिम्पस बनाम लंदन जनरल ओम्निबस कंपनी (1862)

तथ्य:

ड्राइवर ने मालिक के निर्देशों के विरुद्ध बस चलाई और दुर्घटना हुई।

निर्णय:

मालिक उत्तरदायी ठहराया गया।

सिद्धांत:

निर्देशों के उल्लंघन के बावजूद, यदि कार्य सेवा के दौरान हुआ है तो मालिक उत्तरदायी होगा।

---

3. बियर्ड बनाम लंदन जनरल ओम्निबस कंपनी (1900)

तथ्य:

कंडक्टर, जिसका कार्य बस चलाना नहीं था, बस चलाते समय दुर्घटना कर बैठा।

निर्णय:

मालिक उत्तरदायी नहीं ठहराया गया।

सिद्धांत:

यदि कार्य सेवा की सीमा से बाहर हो, तो मालिक उत्तरदायी नहीं होता।

---

4. लॉयड बनाम ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी (1912)

तथ्य:

एक क्लर्क ने धोखे से ग्राहक की संपत्ति अपने नाम करवा ली।

निर्णय:

नियोक्ता को उत्तरदायी ठहराया गया।

सिद्धांत:

अभिकर्ता द्वारा सेवा के दौरान किए गए धोखे के लिए प्रधान उत्तरदायी होगा।

---

5. सेंचुरी इंश्योरेंस कंपनी बनाम नॉर्दर्न आयरलैंड रोड ट्रांसपोर्ट बोर्ड (1942)

तथ्य:

ड्राइवर ने ड्यूटी के दौरान सिगरेट पीते समय विस्फोट कर दिया।

निर्णय:

मालिक उत्तरदायी ठहराया गया।

सिद्धांत:

सेवा से संबंधित लापरवाही के लिए मालिक उत्तरदायी होगा।

इस सिद्धांत के अपवाद

यह सिद्धांत लागू नहीं होगा–

1. जब कार्य सेवा की सीमा से बाहर किया गया हो।
2. जब सेवक व्यक्तिगत उद्देश्य से कार्य करे।
3. जब स्वतंत्र ठेकेदार द्वारा कार्य किया गया हो (कुछ अपवादों को छोड़कर)।

सिद्धांत का औचित्य

- मालिक को सेवक पर नियंत्रण होता है।
- मालिक सेवक के कार्य से लाभ प्राप्त करता है।
- मालिक हानि की भरपाई करने की बेहतर स्थिति में होता है।
- यह सावधानीपूर्वक चयन और निगरानी को प्रोत्साहित करता है।

निष्कर्ष

"वह जो किसी अन्य से कार्य करवाता है, वह स्वयं उस कार्य को करता है" का सिद्धांत अपकृत्य कानून में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि वास्तविक नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति उत्तरदायित्व से न बच सके। न्यायालयों ने विभिन्न मामलों में इस सिद्धांत को अपनाकर पीड़ितों को न्याय प्रदान किया है।

अतः यदि सेवक सेवा के दौरान कोई अपकृत्य करता है, तो वह सेवक का नहीं बल्कि उसके मालिक का कार्य माना जाएगा और मालिक को ही उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

Q.6 "The mere causing of actual loss to another is not necessarily a tort but the mere wrong without any actual loss is tort." Explain and refer the decided cases.

"किसीअन्यकोवास्तविकहानिपहुँचानाआवश्यकरूपसेअपकृत्यनहींहै,किन्तुबिनाकिसीवास्तविकहानिकेके वलगलतकार्यकरनाअपकृत्यहै।" विनिश्चयितमामलोंकीव्याख्याकीजिएतथाउनकाउल्लेखकीजिए।

प्रस्तावना (Introduction)

अपकृत्य विधि (**Law of Torts**) में दायित्व केवल इस कारण से उत्पन्न नहीं होता कि किसी व्यक्ति को हानि हुई है। इसी प्रकार, कई बार किसी व्यक्ति के साथ वास्तविक हानि न होते हुए भी उसके विधिक अधिकार का उल्लंघन हो जाता है। इस सिद्धांत को दो प्रमुख लैटिन सूत्रों द्वारा समझाया जाता है—

1. **Damnum sine injuria** - बिना विधिक क्षति के वास्तविक हानि
2. **Injuria sine damnum** - बिना वास्तविक हानि के विधिक क्षति

दिया गया कथन इन्हीं दोनों सिद्धांतों पर आधारित है।

****1. Damnum Sine Injuria**

(विधिक क्षति के बिना वास्तविक हानि)**

अर्थ

जब किसी व्यक्ति को वास्तविक आर्थिक या अन्य हानि तो होती है, लेकिन उसके किसी **कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं होता,** तो उसे ***Damnum sine injuria*** कहा जाता है।

👉 केवल हानि होना पर्याप्त नहीं है; **कानूनी अधिकार का उल्लंघन होना अनिवार्य है।**

आवश्यक तत्व

1. वास्तविक हानि या नुकसान

2. किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं

3. कार्य विधिसम्मत एवं वैध हो

प्रमुख न्यायिक निर्णय

ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल वाद (1410)

तथ्य:
प्रतिवादी ने वादी के विद्यालय के पास कम फीस वाला नया विद्यालय खोला, जिससे वादी के छात्रों की संख्या कम हो गई।

निर्णय:
न्यायालय ने कहा कि वादी को कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी।

सिद्धांत:
कानूनी प्रतिस्पर्धा से हुई हानि ***Damnum sine injuria*** है और अपकृत्य नहीं है।

Chasemore v. Richards (1859)

तथ्य:
प्रतिवादी ने अपने भूमि पर कुआँ खोदा, जिससे वादी की चक्की को कम पानी मिला।

निर्णय:
प्रतिवादी दोषी नहीं ठहराया गया।

सिद्धांत:
कानूनी अधिकार का उल्लंघन न होने पर वास्तविक हानि के बावजूद कोई अपकृत्य नहीं बनता।

निष्कर्ष (Damnum Sine Injuria)

👉 **केवल वास्तविक हानि अपकृत्य नहीं बनाती जब तक किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन न हो।**

****2. Injuria Sine Damnum**

(वास्तविक हानि के बिना विधिक क्षति)**

अर्थ

जब किसी व्यक्ति के **कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है,** भले ही उसे कोई वास्तविक हानि न हुई हो, तब उसे ***Injuria sine damnum*** कहा जाता है।

👉 यहाँ वास्तविक हानि सिद्ध करना आवश्यक नहीं होता।

आवश्यक तत्व

1. विधिक अधिकार का उल्लंघन
2. वास्तविक हानि का न होना
3. अधिकार कानून द्वारा संरक्षित हो

प्रमुख न्यायिक निर्णय

Ashby v. White (1703)

तथ्य:
वादी को, जो एक योग्य मतदाता था, मतदान करने से अवैध रूप से रोका गया।

निर्णय:
प्रतिवादी को दोषी ठहराया गया।

सिद्धांत:

मतदान का अधिकार एक विधिक अधिकार है। उसके उल्लंघन पर, वास्तविक हानि न होने पर भी, वाद दायर किया जा सकता है।

यह ***Injuria sine damnum*** का प्रमुख उदाहरण है।

Bhim Singh v. State of J&K (1985)

तथ्य:

एक विधायक को अवैध रूप से गिरफ्तार कर विधानसभा में जाने से रोका गया।

निर्णय:

सर्वोच्च न्यायालय ने क्षतिपूर्ति प्रदान की।

सिद्धांत:

व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन अपने आप में अपकृत्य है।

निष्कर्ष (Injuria Sine Damnum)

👉 **विधिक अधिकार का उल्लंघन ही अपकृत्य बनाने के लिए पर्याप्त है।**

दोनों सिद्धांतों में अंतर

आधार	**Damnum Sine Injuria**	**Injuria Sine Damnum**
अर्थ	बिना विधिक क्षति के हानि	बिना वास्तविक हानि के विधिक क्षति
विधिक अधिकार	उल्लंघन नहीं	उल्लंघन होता है

आधार	Damnum Sine Injuria	Injuria Sine Damnum
वाद योग्य	नहीं	हाँ
वास्तविक हानि	आवश्यक	आवश्यक नहीं
उदाहरण	Gloucester Grammar School	Ashby v. White

न्यायिक दृष्टिकोण

अपकृत्य विधि का उद्देश्य—

- केवल वास्तविक हानि नहीं, बल्कि **कानूनी अधिकारों की रक्षा** करना है।
- वैध प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना।
- अवैध हस्तक्षेप को रोकना।

निष्कर्ष (Conclusion)

उक्त कथन पूर्णतः सही है।

- **केवल वास्तविक हानि अपकृत्य नहीं है,** यदि विधिक अधिकार का उल्लंघन न हो।
- **केवल गलत कार्य, बिना वास्तविक हानि के भी, अपकृत्य है,** यदि वह विधिक अधिकार का उल्लंघन करता हो।

👉 इसलिए, **अपकृत्य विधि में वास्तविक हानि से अधिक महत्वपूर्ण विधिक क्षति (Legal Injury) है।**

Q.7 Rule laid down in Rylands v. Fletcher and its exceptions with decided cases. Differentiate between the strict liability & absolute liability.

रायलैंड्सबनामफ्लेचरमेंनिर्धारितनियमऔरनिर्णीतमामलोंमेंइसकेअपवाद।कठोरदायित्वऔरपूर्णदायित्व केबीचअंतरस्पष्टकीजिए।

प्रस्तावना

अपकृत्य विधि (**Law of Torts**) में **Rylands v. Fletcher (1868)** का निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस मामले में **कठोर दायित्व (Strict Liability)** का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, जिसके अनुसार कुछ परिस्थितियों में व्यक्ति बिना उपेक्षा (**negligence**) सिद्ध हुए भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

बाद में भारतीय न्यायालयों ने औद्योगिक दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इससे अधिक कठोर सिद्धांत **पूर्ण दायित्व (Absolute Liability)** विकसित किया।

Rylands v. Fletcher (1868) में निर्धारित नियम

वाद के तथ्य

प्रतिवादी **Rylands** ने अपने भूमि पर जलाशय (**reservoir**) बनवाया। मिट्टी में छिपे दोषों के कारण जल बाहर निकल गया और वादी **Fletcher** की कोयला खदान में भर गया।

निर्णय

हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने प्रतिवादी को क्षति के लिए उत्तरदायी ठहराया।

नियम (Rule)

"जो व्यक्ति अपने निजी उद्देश्य के लिए अपनी भूमि पर कोई ऐसी वस्तु लाता है और रखता है, जो यदि बाहर निकल जाए तो हानि पहुँचा सकती है, वह उसे अपने जोखिम पर रखता है; और यदि वह वस्तु बाहर निकलती है और क्षति पहुँचाती है, तो वह व्यक्ति उस क्षति के लिए उत्तरदायी होगा।"

कठोर दायित्व (Strict Liability) के आवश्यक तत्व

1. खतरनाक वस्तु (Dangerous Thing)

प्रतिवादी ने अपनी भूमि पर खतरनाक वस्तु रखी हो।
जैसे – पानी, गैस, बिजली, विस्फोटक, रसायन आदि।

---

2. वस्तु का बाहर निकलना (Escape)

वस्तु प्रतिवादी की भूमि से बाहर निकलकर दूसरे की भूमि पर पहुँची हो।
वाद: ***Read v. Lyons*** **(1947) -** बाहर निकलना नहीं था, इसलिए दायित्व नहीं।

---

3. भूमि का अप्राकृतिक उपयोग (Non-natural Use)

भूमि का असामान्य या अप्राकृतिक उपयोग किया गया हो।

---

4. क्षति (Damage)

वस्तु के बाहर निकलने से वास्तविक क्षति हुई हो।

कठोर दायित्व के अपवाद (Exceptions) - निर्णीत मामलों सहित

1. दैवीय घटना (Act of God)

प्राकृतिक शक्तियों से हुई क्षति, जिसे मानव नियंत्रित न कर सके।
वाद: ***Nichols v. Marsland*** **(1876)**

---

2. किसी अजनबी का कार्य (Act of Stranger)

यदि क्षति किसी तीसरे व्यक्ति के कार्य से हुई हो।

वाद: ***Rickards v. Lothian*** **(1913)**

---

3. वादी की स्वयं की गलती (Plaintiff's Own Fault)

यदि हानि वादी की अपनी गलती से हुई हो।

वाद: ***Ponting v. Noakes*** **(1894)**

---

4. वादी की सहमति (Volenti non fit injuria)

यदि वादी ने जोखिम को स्वीकार किया हो।

वाद: ***Carstairs v. Taylor*** **(1871)**

---

5. विधिक प्राधिकरण (Statutory Authority)

यदि कार्य विधि द्वारा अधिकृत हो और उपेक्षा न हो।

वाद: ***Green v. Chelsea Waterworks Co.*** **(1894)**

पूर्ण दायित्व (Absolute Liability) का सिद्धांत

प्रमुख वाद: M.C. Mehta v. Union of India (1987) - ओलियम गैस रिसाव मामला

निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि—

यदि कोई उद्योग या संस्था खतरनाक अथवा जोखिमपूर्ण गतिविधि में संलग्न है और उससे किसी को हानि होती है, तो वह **पूर्ण रूप से उत्तरदायी** होगी।

👉 इसमें **कोई अपवाद लागू नहीं होगा**।

कठोर दायित्व और पूर्ण दायित्व में अंतर

आधार	**कठोर दायित्व (Strict Liability)**	**पूर्ण दायित्व (Absolute Liability)**
उत्पत्ति	इंग्लैंड	भारत
प्रमुख वाद	***Rylands v. Fletcher*** **(1868)**	***M.C. Mehta v. Union of India*** **(1987)**
दायित्व की प्रकृति	कठोर, पर पूर्ण नहीं	पूर्ण एवं निरपेक्ष
अपवाद	उपलब्ध	कोई अपवाद नहीं
Escape की आवश्यकता	आवश्यक	आवश्यक नहीं
प्रतिरक्षा	स्वीकार्य	अस्वीकार्य
लागू क्षेत्र	सामान्य खतरनाक वस्तुएँ	खतरनाक औद्योगिक गतिविधियाँ
उद्देश्य	निजी दायित्व	जनहित एवं पर्यावरण सुरक्षा

निष्कर्ष

Rylands v. Fletcher का नियम कठोर दायित्व का आधार है, जिसके अंतर्गत बिना उपेक्षा के भी उत्तरदायित्व लगाया जाता है, किंतु इसमें कई अपवाद हैं।

भारतीय न्यायपालिका ने औद्योगिक दुर्घटनाओं और जन-जीवन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए **पूर्ण दायित्व** का सिद्धांत विकसित किया, जिसमें कोई अपवाद नहीं है।

यह विकास सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण और मानव सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यदि आप चाहें तो मैं इसे **परीक्षा-उपयोगी उत्तर (heading + points)** या **LLB मॉडल आंसर शीट** के रूप में भी प्रस्तुत कर सकता हूँ।

Q.8 Define libel & slander and discuss the saying, discuss with decided cases

अपलेख तथा अपवचन मे अंतर बताइयेनिर्णित वादो कि सहायता से बताइये

प्रस्तावना (Introduction)

अपकृत्य विधि (**Law of Torts**) में **मानहानि (Defamation)** एक दीवानी दोष है, जिसमें किसी व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाई जाती है। प्रतिष्ठा व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण अधिकार है, जिसकी रक्षा कानून करता है। मानहानि दो प्रकार की होती है–

1. अपलेख (**Libel**)
2. अपवचन (**Slander**)

मानहानि का अर्थ (Meaning of Defamation)

मानहानि का अर्थ है– किसी व्यक्ति के बारे में ऐसा असत्य कथन करना, जिससे समाज में उसकी प्रतिष्ठा कम हो जाए या वह घृणा, उपहास या तिरस्कार का पात्र बन जाए।

अपलेख (Libel) की परिभाषा

अपलेख वह मानहानि है जो **स्थायी रूप (Permanent Form)** में की जाती है।

उदाहरण

- समाचार पत्र में प्रकाशित लेख
- पुस्तक, पत्र, पोस्टर
- चित्र, कार्टून
- सोशल मीडिया पोस्ट

निर्णीत वाद

Sim v. Stretch (1936)
न्यायालय ने कहा कि कोई कथन तब मानहानिकारक होता है जब वह सामान्य समझ वाले लोगों की दृष्टि में व्यक्ति की प्रतिष्ठा को गिरा दे।

अपवचन (Slander) की परिभाषा

अपवचन वह मानहानि है जो **अस्थायी रूप (Temporary Form)** में होती है, जैसे बोले गए शब्द या संकेत।

उदाहरण

- मौखिक आरोप
- इशारे या हाव-भाव

निर्णीत वाद

Tournier v. National Provincial Bank (1924)
न्यायालय ने कहा कि बोले गए ऐसे शब्द जो प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचाते हैं, अपवचन कहलाते हैं।

मानहानि के आवश्यक तत्व (Elements of Defamation)

अपलेख और अपवचन दोनों में निम्न तत्व आवश्यक हैं–

1. कथन मानहानिकारक हो
2. कथन वादी से संबंधित हो
3. कथन का प्रकाशन (तीसरे व्यक्ति तक पहुँचना) हो

अपलेख और अपवचन में अंतर

आधार	अपलेख (Libel)	अपवचन (Slander)
स्वरूप	स्थायी	अस्थायी
माध्यम	लिखित, चित्र, छपाई	मौखिक या संकेत
क्षति का प्रमाण	स्वतः मान्य	विशेष क्षति सिद्ध करनी होती है
गंभीरता	अधिक गंभीर	अपेक्षाकृत कम
आपराधिक दायित्व	हाँ	सामान्यतः नहीं
भारतीय कानून	दीवानी व आपराधिक दोनों	दीवानी व आपराधिक दोनों

अपवचन जो स्वतः कार्रवाई योग्य है (Slander Actionable per se)

निम्न स्थितियों में अपवचन के लिए विशेष क्षति सिद्ध करना आवश्यक नहीं–

1. अपराध का झूठा आरोप
2. संक्रामक रोग का आरोप
3. स्त्री की पवित्रता पर आरोप
4. पेशेवर अयोग्यता का आरोप

निर्णीत वाद

Cassidy v. Daily Mirror (1929)
न्यायालय ने कहा कि झूठे कथनों से सामाजिक प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचना मानहानि है।

भारतीय विधि में स्थिति

भारतीय कानून में अपलेख और अपवचन के बीच कठोर अंतर नहीं किया गया है। दोनों–

- अपकृत्य विधि के अंतर्गत दीवानी दोष हैं
- भारतीय दंड संहिता की धारा **499-500** के अंतर्गत अपराध हैं

निर्णीत वाद

राम जेठमलानी बनाम सुब्रमण्यम स्वामी (2006)
मानहानिकारक बयानों के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान की गई।

निष्कर्ष (Conclusion)

अपलेख और अपवचन दोनों मानहानि के रूप हैं, जिनका उद्देश्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा की रक्षा करना है। अपलेख स्थायी होने के कारण अधिक गंभीर है और स्वतः कार्रवाई योग्य है, जबकि अपवचन में सामान्यतः विशेष क्षति सिद्ध करनी होती है। दोनों ही व्यक्ति के सम्मान और सामाजिक गरिमा की रक्षा के लिए आवश्यक कानूनी अवधारणाएँ हैं।

Q.9 Examine the differences between a contract & tort & also explain the case of overlapping of tort & crime.

अनुबंधऔरअपकृत्यकेबीचअंतरकीजांचकरेंऔरअपकृत्यऔरअपराधकेअतिव्यापनकेमामलेकीभीव्याख्या करें।

प्रस्तावना (Introduction)

विधि में **नागरिक दोष (Civil Wrong)** दो प्रकार से उत्पन्न हो सकता है—

1. **अनुबंध का उल्लंघन (Breach of Contract)**
2. **अपकृत्य (Tort)**

यद्यपि अनुबंध और अपकृत्य दोनों ही नागरिक विधि के अंतर्गत आते हैं, फिर भी इनकी प्रकृति, उत्पत्ति और उपचार भिन्न हैं। कई बार एक ही कृत्य **अपकृत्य तथा अपराध** दोनों का रूप ले लेता है, जिसे **अपकृत्य और अपराध का अतिव्यापन (Overlapping)** कहा जाता है।

अनुबंध का अर्थ (Meaning of Contract)

भारतीय अनुबंध अधिनियम, **1872** की **धारा 2(h)** के अनुसार—

"ऐसा समझौता जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो, अनुबंध कहलाता है।"

अर्थात् अनुबंध पक्षकारों की **स्वैच्छिक सहमति** से उत्पन्न विधिक दायित्व है।

अपकृत्य (Tort) का अर्थ

अपकृत्य वह **नागरिक दोष** है जो न तो अनुबंध के उल्लंघन से उत्पन्न होता है और न ही न्यास-भंग से, तथा जिसके लिए **अपरिमित (Unliquidated) हर्जाना** दिया जाता है।
अपकृत्य में दायित्व **कानून द्वारा आरोपित** होता है, न कि पक्षकारों की इच्छा से।

अनुबंध और अपकृत्य में अंतर

आधार	अनुबंध	अपकृत्य

आधार	अनुबंध	अपकृत्य
1. दायित्व की उत्पत्ति	समझौते से	कानून से
2. दायित्व की प्रकृति	स्वैच्छिक	अनैच्छिक
3. सहमति	आवश्यक	आवश्यक नहीं
4. दायित्व का क्षेत्र	केवल पक्षकारों तक सीमित	सामान्य जनता के प्रति
5. अधिकारों का उल्लंघन	संविदात्मक अधिकार	विधिक अधिकार
6. हर्जाने की प्रकृति	निर्धारित या निश्चित	अपरिमित
7. मंशा (Intention)	प्रासंगिक	सामान्यतः अप्रासंगिक
8. पूर्व संबंध	आवश्यक	आवश्यक नहीं
9. नियमों का स्रोत	अनुबंध की शर्तें	सामान्य विधि
10. उदाहरण	बिक्री अनुबंध का उल्लंघन	लापरवाही, मानहानि

निर्णीत वाद (Case Law)

डोनोग्यू बनाम स्टीवेन्सन (1932)

इस वाद में वादी और निर्माता के बीच कोई अनुबंध नहीं था, फिर भी लापरवाही के कारण अपकृत्यात्मक दायित्व ठहराया गया।

👉 यह सिद्ध करता है कि **अपकृत्य का दायित्व अनुबंध से स्वतंत्र होता है।**

अपकृत्य और अपराध का अतिव्यापन (Overlapping of Tort and Crime)

कई बार एक ही कृत्य—

- व्यक्ति के **निजी अधिकारों** का उल्लंघन करता है (अपकृत्य), तथा
- समाज के विरुद्ध **अपराध** भी बन जाता है।

ऐसी स्थिति में दोषी व्यक्ति—

- नागरिक रूप से **हर्जाने** के लिए उत्तरदायी होता है, और
- आपराधिक रूप से **दंड** के लिए भी।

अपकृत्य और अपराध में अंतर

आधार	**अपकृत्य**	**अपराध**
प्रकृति	नागरिक दोष	सार्वजनिक दोष
उद्देश्य	क्षतिपूर्ति	दंड
वाद कौन करता है	पीड़ित व्यक्ति	राज्य
उपचार	हर्जाना / निषेधाज्ञा	कारावास / जुर्माना
प्रमाण का स्तर	संभावनाओं का प्राबल्य	संदेह से परे

अपकृत्य और अपराध के अतिव्यापन के उदाहरण

1. हमला (Assault)

- अपकृत्य: हर्जाने का दावा
- अपराध: **IPC** के अंतर्गत दंडनीय

2. **मानहानि (Defamation)**

- अपकृत्य: दीवानी क्षतिपूर्ति
- अपराध: **IPC** की धारा **499-500**

3. **लापरवाही (Negligence)**

- अपकृत्य: क्षतिपूर्ति
- अपराध: आपराधिक लापरवाही

4. **उपद्रव (Nuisance)**

- अपकृत्य: दीवानी दावा
- अपराध: सार्वजनिक उपद्रव

प्रमुख निर्णय

पी. रथिनम बनाम भारत संघ
न्यायालय ने कहा कि एक ही कृत्य से नागरिक तथा आपराधिक दोनों प्रकार की जिम्मेदारी उत्पन्न हो सकती है और एक कार्यवाही दूसरी को प्रतिबंधित नहीं करती।

सिद्धांत

नागरिक और आपराधिक दायित्व परस्पर विरोधी नहीं हैं।
एक ही कृत्य दोनों का कारण बन सकता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

अनुबंध और अपकृत्य दोनों नागरिक दोष हैं, किंतु उनकी उत्पत्ति, प्रकृति और उपचार भिन्न हैं। अनुबंध पक्षकारों की सहमति से उत्पन्न होता है, जबकि अपकृत्य कानून द्वारा आरोपित होता है। साथ ही, कुछ कृत्य ऐसे होते हैं जो **अपकृत्य और अपराध दोनों** होते हैं, जिससे दोषी व्यक्ति को **हर्जाना भी देना पड़ता है और दंड भी भुगतना पड़ता है**।

इस प्रकार, अपकृत्य विधि और आपराधिक विधि अपने-अपने उद्देश्यों में भिन्न होते हुए भी एक-दूसरे के पूरक हैं।

**********==========**********